

Correction Section (L.D)

121

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2014/माघ 28, 1935

No. 346]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2014/MAGHA 28, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
(कागज अनुभाग)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
(PAPER SECTION)

ORDER

New Delhi, the 14th February, 2014

आदेश

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2014

S.O. 411(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18 G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Newsprint Control Order, 2004, namely:—

क्र.अ. 411(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ: द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश को न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2014 कहा जाए।

1. (1) This Order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2014.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में:—

2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule:—

(1) देशी न्यूजप्रिंट विनिर्माताओं की मिल के नाम और अवस्थिति से संबंधित मद 4 में, क्रम सं. 117 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

(I) In item 4 relating to the name of the Mill and Location of the indigenous newsprint manufacturers, after S. No.117 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely:—

“118. मेस्सेस श्री विष्णु अन्नामलैयर पेपर मिल्स लिमिटेड करैकुदी-630106”

“118. M/s. Sri Vishnu Annaamalaiyar Paper Mills Ltd. KARAUKUDI-630106”

[फा. सं. 4(6)/2013-कागज]

शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

[F. No. 4(6)/2013-Paper]

SHAILENDRA SINGH, Jt. Secy.

टिप्पण.—मूल आदेश भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1105(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2004 के तहत प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 5 मार्च, 2013 के आदेश सं. का.आ. 543(अ) द्वारा बाद में संशोधित किया गया था।

Note.—The Principal Order was published in the Gazette of India vide No. S.O. 1105(E), dated the 11th October, 2004 and subsequently amended vide Order No. S.O. 543(E), dated 5th March, 2013 published in the Gazette of India.

631 GI/2014